

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2472]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 4, 2014/अग्रहायण 13, 1936

No. 2472]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 4, 2014/AGRAHAYANA 13, 1936

गृह मंत्रालय

(आंतरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3067(अ).—केन्द्र सरकार, विधिविरुद्ध

क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ड) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 13 सितम्बर, 2013 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप खंड (ii) में प्रकाशित गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 सितम्बर, 2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 2760(अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों को छोड़कर जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की जा चुकी हों अथवा करने हेतु छोड़ दी गई हों, श्री एम ए गणपति, संयुक्त सचिव (आई एस-I), गृह मंत्रालय, भारत सरकार को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नामोद्दिष्ट प्राधिकारी के तौर पर विनिर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. 11034/8/2009-आई एस. VI (भाग-IV)]

प्रकाश मिश्रा, विशेष सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 2014

S.O. 3067(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (1) of Section 2 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, number S.O. 2760(E), dated the 13th September, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated 13th September, 2013, except with regard to things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby specifies Shri M. A. Ganapathy, Joint Secretary (IS-I) in the Ministry of Home Affairs, Government of India, as the Designated Authority for the purposes of the said Act.

[F. No. 11034/8/2009-IS.VI (IV)]

PRAKASH MISHRA, Spl. Secy.